



Ref: GMC/Estt./(SR/JR)/2021/3607

Date: 20/10/2021

**Recruitment advertisement for Junior Resident (JR) posts**

All eligible candidates qualifying as per NMC norms for the following Junior Resident (JR) posts and willing to join Government Medical College, Bharatpur may please attend the Walk-in Interview in the chamber of Principal, Govt. Medical College, Bharatpur with all necessary original documents, 2 recent passport size photographs & 1 set of self attested photocopies on 26.10.2021 & 27.10.2021 at 09.00 AM. Candidates will be interviewed in the same order of their reporting/arrival on above days 10.00 AM onwards.

S. No.	Department	Post	No of Vacant Post
1	Obs. & Gynae.	Junior Resident (JR)	01
2	Skin & VD		01
3	General Surgery		01

**Terms & Conditions:-**

1. Number of posts may increase or decrease as per requirement.
2. For JR post Candidate must possess a minimum qualification of MBBS from a Institute/University recognized by State/Central Govt. as in this current era of CORONA Pandemic, MBBS doctors recruited in any department will be required to work in COVID DEDICATED WARDS to make up the shortfall of requisite number of Medical Officers. MD/MS candidates will be given preference.
3. Selection for JR posts will be on Urgent Temporary Basis for 06 months only.
4. Candidates need to produce NOC (No Objection Certificate) from present employer at the time of interview as per RajMES rules. Selected candidates need to produce Relieving order at the time of joining as per society rules.
5. Candidate need to submit affidavit on stamp paper of minimum value Rs 100 at the time of joining in the prescribed proforma. (Annexure-1 for JR post)
6. No TA/DA will be given for the interview.
7. The Chairman of the recruitment committee at Government Medical College, Bharatpur reserves the right to accept/reject any application without assigning any reason.
8. Selected candidates will be given consolidated salary i.e. Rs. 61300/- per month for Junior Resident post, as per Rajasthan Medical Education Society rules.
9. Selected candidates, irrespective of the departments they have been selected for, will have to perform duties in COVID ward for the next 06 months without raising any objection or representation.
10. Other terms & conditions will be as per rules of Rajasthan Medical Education Society.

Dr (Col) Rajat Srivastava  
Principal  
Govt. Medical College Bharatpur

Date: 20/10/2021

Ref: GMC/Estt./(SR/JR)/2021/ 3607

**Copy to following for information and necessary action:-**

1. Director, Rajasthan Medical Education Society, Jaipur – for kind information please.
2. Nodal Officer (Website) to upload on website.
3. Office File

Dr (Col) Rajat Srivastava  
Principal  
Govt. Medical College Bharatpur

## Annexure-1

कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रपत्र में शपथ पत्र (Affidavit on Stamp Paper of Minimum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि –

- यह कि मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
- यह कि मेरी कदाचार के कारण पूर्व में सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
- यह कि मेरे द्वारा पूर्व में की गई **Junior Residency** की अवधि ढाई (2½) वर्ष से अधिक नहीं है।
- मैं कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड वार्ड में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णरूप से करूंगा/करूंगी एवं कार्य संपादन करने में कभी भी आपत्ति नहीं जताऊंगा/जताऊंगी।
- यह कि मैंने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान दिनांक 01.08.2020 को या उसके बाद एम.सी.आई./एन.एम.सी. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
- यह कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर के नियुक्ति आदेश ..... दिनांक ..... के तहत मेरी यू.टी.बी. आधार सेवा 06 माह के लिए है। 06 माह बाद मिलने वाली पुनर्नियुक्ति को मांगने के लिये मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। राजस्थान सरकार के सेवा नियमों के आधार पर मुझे पुनर्नियुक्ति नहीं मिलने पर मैं किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच में नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच में दावा प्रस्तुत करता/करती हूँ तो वह झूठा एवं बेअसर माना जावे।
- यह कि मेरे बिना किसी भी पूर्व सूचना के लगातार 10 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवायें समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर का होगा।
- यह कि नियुक्ति/नियुक्ति के निरस्तीकरण/पुनर्नियुक्ति के संपूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर को होंगे। नियुक्ति निरस्त हो जाने के पश्चात् मैं किसी भी न्यायालय/ अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी। अगर मैं इस संबंध में किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता/करती हूँ तो वह झूठा व बेअसर माना जावे और इस शपथ पत्र की सत्यता निरस्त होने पर मुझे पूर्णतया दोषी माना जायेगा।
- यह कि मैं कॉलेज परिसर में आवास/क्वार्टर आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी क्योंकि वर्तमान में कॉलेज परिसर में कोई भी आवास/क्वार्टर रिक्त नहीं है तथा इस संदर्भ में मेरे द्वारा साक्षात्कार के समय भी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
- यह कि मेरा चयन अन्य किसी संस्था/चिकित्सालय/विभाग में होने के पश्चात् मेरे द्वारा नियमानुसार एक माह पूर्व त्यागपत्र नोटिस न प्रस्तुत करने की स्थिति में, मैं आखिरी एक माह का वेतन मांगने का हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।